(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 26/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 7 जून, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, थाईलैंड और यूएई में मूलत: उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले "प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड" पर, दिनांक 12 अप्रैल, 2013 की सा0का0नि0 सं. 240 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 6/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड 1 में दिनांक 5 जून, 2017 को प्रकाशित, दिनांक 5 जून, 2017 के अधिसूचना सं0 7/08/2017- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा(5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 240 (अ) के अंतर्गत दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 6/2013-सीमा शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उपर्युक्त अधिसूचना में, टिप्पण 2 के पश्चात टिप्पण 3 से पहले निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"टिप्पण 2(क): टिप्पण 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 6 जून, 2018 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रदद नहीं कर दिया जाए।"

[फा सं0 354/70/2012-टीआरयू (भाग-1)]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं0 6/2013, दिनांक 12 अप्रैल, 2013 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 240 (अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।